राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

विस्तृत–निर्देश

(विज्ञापन संख्या–01/2022)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के सदर अस्पतालों में विभिन्न संकायों के विशेषज्ञ चिकित्सक (Specialist Doctor) के संविदागत पदों पर चयन/नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों, जो भारत के नागरिक हैं, से Online आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र० सं०	पद का नाम	न्यूनतम अनिवार्य अर्हत्ता	रिक्त पदों की संख्या
1	**MD Medicine/ Physicians**	▪ MD in General Medicine from a recognized Institute/ University or; DNB in General Medicine from a recognized Institute/ University. ▪ The above qualification must be registered with Bihar Council of Medical Registration, Patna, Bihar or Medical Council of India or National Medical Commission before joining.	70 (UR-26, MBC-12, BC-08, SC-13, ST-01, EWS-08, WBC-02)
2	**ENT Surgeons**	▪ MS in ENT from a recognized Institute/ University or; DNB in ENT from a recognized Institute/ University or; Diploma in Otorhinolaryngology (DLO) from a recognized Institute/University. ▪ The above qualification must be registered with Bihar Council of Medical Registration, Patna, Bihar or Medical Council of India or National Medical Commission before joining.	41 (UR-15, MBC-08, BC-05, SC-06, ST-01, EWS-05, WBC-01)
3	**Ophthalmologist**	▪ MS in Ophthalmology from a recognized Institute/ University or; DNB in Ophthalmology from a recognized Institute/ University or; Diploma-in-Ophthalmic-Medicine-and-Surgery-(DOMS)/Diploma in Ophthalmology (DO) from a recognized Institute/University. ▪ The above qualification must be registered with Bihar Council of Medical Registration, Patna, Bihar or Medical Council of India or National Medical Commission before joining.	28 (UR-09, MBC-04, BC-03, SC-06, ST-01, EWS-04, WBC-01)
4	**Dermatologist**	▪ MD in Dermatology from a recognized Institute/ University or; DNB in Dermatology from a recognized Institute/ University or; Diploma in Venerology & Dermatology (DVD) from a recognized Institute/University. ▪ The above qualification must be registered with Bihar Council of Medical Registration, Patna, Bihar or Medical Council of India or National Medical Commission before joining.	35 (UR-13, MBC-07, BC-04, SC-06, ST-01, EWS-03, WBC-01)
5	**Psychiatrist**	▪ MD in Psychiatry from a recognized Institute/University or; DNB in Psychiatry from a recognized Institute/ University or; Diploma in Psychiatry from a recognized Institute/ University. ▪ The above qualification must be registered with Bihar Council of Medical Registration, Patna, Bihar or Medical Council of India or National Medical Commission before joining.	33 (UR-10, MBC-07, BC-04, SC-06, ST-01, EWS-04, WBC-01)

(UR - Unreserved, MBC - Most Backward Class, BC - Backward Class, SC - Scheduled Cast, ST - Scheduled Tribe, EWS - Economically Weaker Section, WBC - Women of Backward Class)

Rajesh

नोटः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०–11/आ०नी०–1–11/2015 सा०प्र० 963 दिनांक 20.01.16 एवं पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण, संकल्प सं०–13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण तथा पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती एवं नाती/नतिनियों के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा।

निर्देशः–

1. उक्त सभी पदों हेतु विज्ञापन, विस्तृत–निर्देश एवं ToR, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website - statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध है, जिसे download किया जा सकता है।

2. उक्त सभी पदों तथा सभी कोटियों के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी। उक्त सभी पदों हेतु आयु एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए **Cut off Date- 01.01.2022** होगी।

3. **मानदेय**

NHM के तहत उक्त सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों का निम्नानुसार मानदेय/प्रतिमाह का निर्धारण किया गया हैः–

शैक्षणिक योग्यता	पदस्थापन स्थल	मानदेय/प्रतिमाह
MS/MD/DNB	जिला मुख्यालय में (सदर अस्पताल)	₹ 1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र)
Diploma		₹ 90,000/– (नब्बे हजार रुपये मात्र)

4. इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website-**statehealthsocietybihar.org** के Careers Link पर क्लिक करके दिशा–निर्देश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों हेतु ToR एवं निर्देश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

5. उक्त पदों के लिए Online आवेदन भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान करने की प्रारंभिक एवं अन्तिम तिथि/समय निम्नानुसार निर्धारण किया जाता हैः–

प्रारंभिक तिथि एवं समय	**08/02/2022 (10:00 बजे पूर्वाह्न से)**
अंतिम तिथि एवं समय	**28/02/2022 (06:00 बजे अपराह्न तक)**

6. नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद कार्य रहने पर संविदा अवधि का विस्तार 60 वर्ष की आयु तक के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत RoP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध रहने में से, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए एक बार तथा स्वस्थता, सत्यनिष्ठा एवं कार्य कुशलता के आधार पर अगला क्रमशः 65 एवं 67 वर्ष की आयु तक NHM के जारी रहने तथा पद की स्वीकृति रहने की स्थिति में विस्तारित तत्समय प्रभावी प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

7. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

8. संविदा पर नियोजन के उपरांत नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छानुसार आवेदक पाँच (05) विकल्प दे सकते हैं, परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पास सुरक्षित रहेगा।

9. **आरक्षणः–**

(i) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।

(ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन Online आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। Online आवेदन भरते

Rajesh

(ii) वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional applicant fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

11. **Application Process:**

(i) इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के Website-statehealthsocietybihar.org के Careers Link पर क्लिक करके दिशा–निर्देश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। Online आवेदन समर्पित करते समय इंगित कॉलम में अद्यतन passport size रंगीन फोटो (20 kb to 100kb in JPG/JPEG/PNG format) एवं हस्ताक्षर (10 kb to 100kb in JPG/JPEG/PNG format) में upload करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है। Online आवेदन में upload किये जाने वाले passport size रंगीन फोटो की पाँच प्रति print कर सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी समय समिति (SHSB) के द्वारा मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सकें।

(ii) उक्त पदों पर चयन/नियोजन हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं Online आवेदन भरा जाना है। अभ्यर्थी Online आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा–निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लेंगे तथा Online आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। Online आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं Online आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति जिम्मेवार नहीं होगी। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। Online आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण–पत्र/अंक–पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) संसूचन मोड केवल E-Mail/SMS होगा। Online आवेदन में अंकित E-mail ID, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही Active Mobile Number एवं E-mail ID इंगित कॉलम में अंकित करेंगे। E-mail ID एवं Mobile Number गलत रहने पर संसूचन नहीं हो पाने की पूरी जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।

(iv) Online आवेदन समर्पित करने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर प्रिंट कर लेंगे तथा आवेदन पत्र की प्रति नियोजन होने तक सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी समय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।

(v) Internet या बैंक व्यवधान के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार उत्तरदायी नहीं होगी। अभ्यर्थी Online आवेदन भरने एवं समर्पित करने हेतु अंतिम तिथि का इन्तजार नहीं करेंगे बल्कि अंतिम तिथि के पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।

(vi) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान/Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

(vii) इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाईट statehealthsocietybihar.org पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार–पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

(xi) इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, अंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

12. उक्त पदों पर चयन/नियोजन हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं Online आवेदन भरा जाना है। अभ्यर्थी Online आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा–निर्देश का भली–भांति अध्ययन कर लेंगे तथा Online आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। Online आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन

Rajesh

समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) अनिवार्य रूप से होना चाहिए अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(iv) उसी प्रकार, Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673 दिनांक 8.3.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा–पत्र (विगत एक वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर) का होना अनिवार्य होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र (अनुसूची–1/प्रपत्र–1) मान्य होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 2326 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को उपलब्ध रिक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–13062 दिनांक–12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। Online आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार (Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40% या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय समिति (SHSB) के द्वारा मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत हैं, के पोता/पोती/नाती/नतिनी को रिक्ति के उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को Online आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण–पत्र एवं पहचान–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

10. **आवेदन शुल्कः–**

(i) अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय Net Banking/Credit/Debit Card के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त आवेदन शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा, जिसे Online भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिन्ट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

आवेदन शुल्क कोटिवार प्रत्येक पद हेतु निम्नवत निर्धारित हैः–

कोटि	पुरूष	महिला
UR/EWS/BC/MBC	500	250
SC/ST (Bihar Domicile)	250	250
दिव्यांग	250	250

Rajesh

नहीं करने पर एवं इसमें किसी भी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Online आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण–पत्र/अंक प्रमाण–पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

13. अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि Online आवेदन समर्पित करने के पश्चात वे आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करते हुए प्रिंट कर लेंगे तथा आवेदन पत्र की प्रति नियोजन होने तक सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी समय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सकें।

14. **चयन का आधार/मापदण्ड का निर्धारण**

सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर चयन/नियोजन के लिए कुल अंक 100 निर्धारित करते हुए शैक्षणिक योग्यता हेतु अंक निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:–

(i) MBBS परीक्षा में प्राप्तांक :	**कुल 60 अंक**
(ii) MS/MD/DNB परीक्षा में प्राप्तांक :	**कुल 40 अंक (flat)**
या	
Diploma परीक्षा में प्राप्तांक :	**कुल 30 अंक (flat)**

नोटः–

(a) MBBS की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.60 के गुणक से गुणा कर के किया जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा MBBS में 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% x 0.60 = 30 अंक दिये जाएंगे तथा MD/MS/DNB के लिए flat 40 अंक एवं Diploma के लिए flat 30 अंक दिये जायंगे।

(b) किसी अभ्यर्थी को MBBS की परीक्षा में ग्रेड अथवा CGPA अंक प्रदान किया हो तो, यदि संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से MBBS की परीक्षा में ग्रेड अथवा CGPA अंक को प्रतिशत में Convert किया गया होगा तो उसी प्रतिशत को आधार बनाया जायगा, अन्यथा ग्रेड अथवा CGPA अंकधारी अभ्यर्थी को फ्लैट रेट से 50% अंक निर्धारित किया जाएगा। जो न्यूनतम अर्हतांक माना जाएगा।

(c) स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 2/नियुक्ति–01/2010–297(2) दिनांक 04.03.2015 के तहत विदेश से प्राप्त सभी डिग्री धारकों को MBBS प्राप्तांक की गणना 50% पर की जानी है तथा उनका निबंधन MCI/NMC से होना अनिवार्य है, के अनुरूप निर्धारित की जाएगी।

15. **मेधा सूची में Tie होने पर दिशा–निर्देशः**

अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्राप्त अंको के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्मतिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात, अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण–पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जा सकती है।

16. उक्त पदों के लिए काउन्सेलिंग हेतु किसी भी प्रकार का TA/DA अनुमान्य नहीं होगा।

17. बिना किसी पूर्व सूचना के रिक्ति/कोटिवार रिक्ति की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नियोजन के पूर्व एवं नियोजन के पश्चात् करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

18. राज्य स्वास्थ्य समिति उक्त पदों या पदों की संख्या या विज्ञापन को रद्द करने या उक्त सभी पद या कोई एक पद को बिना किसी सूचना के समाप्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

कार्यपालक निदेशक